

लोगों के मूलभूत अधिकार के रूप में बैंकिंग*

के.सी.चक्रवर्ती

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के अध्यक्ष कॉमरेड राजेन नागर तथा महासचिव कॉमरेड सी.एच. वेंकटाचलम, द हिंदू के ग्रामीण मामलों के संपादक श्री पी. साईनाथ, प्रोफेसर विक्टर लुइस अंधुवान, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के अन्य पदाधिकारी, अन्य ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी गण और प्रतिनिधि, विदेशों से पधारे अतिथि प्रतिनिधि और प्रिय मित्रो। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के 27वीं राष्ट्रीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित इस राष्ट्रीय सेमीनार में साथी बैंकरों की इस सभा को संबोधित करने के लिए आज काच्चि, जिसे 'भगवान के अपने देश' के रूप में जाना जाता है, आकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के सबसे प्राचीन और व्यापक रूप से सम्मानित संघ होने के तथ्य को इस बात से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि आपके महासचिव श्री वेंकटाचलम के बुलाए जाने पर रिजर्व बैंक के उप गवर्नर भी मना नहीं कर पाया।

2. ऐसा कहने के बाद भी मैं यह स्वीकार करूंगा कि मैं यहां अपने निहित स्वार्थ के लिए आया हूं। इसमें निहितार्थ यह है कि आपने इस सेमीनार के लिए जो विषय चुना है वह मुझे बहुत प्रिय है; भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को बहुत प्रिय है। भारत की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रशासन और मानव संसाधन के प्रभारी होने के नाते भी हम बैंकों के लिए जिम्मेदार और मजबूत ट्रेड यूनियन चाहते हैं क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि बैंकों के मजबूत प्रबंध तंत्र के लिए ट्रेड यूनियनों का मजबूत होना एक पूर्व शर्त है। मैं इस विषय पर थोड़ी देर पश्चात चर्चा करूंगा।

* 9 फरवरी 2013 को कोच्चि में आयोजित अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के 27 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का संबोधन। इस भाषण को प्रस्तुत करने में श्री शैलेंद्र त्रिवेदी और श्रीमती सुषमा विज से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया जाता है।

3. यह सचमुच बहुत प्रसन्नता की बात है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इस सम्मेलन का आयोजन 'दशक की चुनौती का सामना करना' के विषय पर किया है। वस्तुतः इसे 'शताब्दी की चुनौती का सामना करना' का नाम भी दिया जाना भी उचित हो सकता था। बैंकिंग प्रणाली पिछले 4-5 वर्षों से जिस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है शायद आगे उनका सामना नहीं करना पड़े। विश्व भर में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां सचमुच बहुत विशाल हैं जैसा कि स्ट्रैटजीवन नाम की अनुसंधान करने वाली फर्म द्वारा किए गए हाल के सर्वेक्षण से पता भी चला है। 25 देशों के लगभग 30,000 लोगों को शामिल करने वाले साक्षात्कार पर आधारित सर्वेक्षण में वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग क्षेत्र की पहचान लगातार दूसरे वर्ष विश्व के सबसे कम विश्वासनीय क्षेत्र के रूप में की गई है। वित्तीय संकट का लोगों पर ऐसा दुष्प्रभाव हुआ है कि बैंकिंग प्रणाली से उनका भरोसा उठ गया है। इसलिए वैश्विक स्तर पर इस उद्योग के समक्ष मूलभूत चुनौती उस विश्वासनीयता और भरोसे को बहाल करना है जो वित्तीय संकट के पहले तक बैंकिंग क्षेत्र को प्राप्त थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सम्मेलन में बैंकिंग उद्योग के समक्ष वर्तमान की इन चुनौतियों पर तथा उनके प्रबंध में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर गंभीरता पूर्वक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मुझे यकीन है कि इन चार दिनों के दौरान होने वाले विचार-विमर्श से नई विचार प्रक्रिया की शुरुआत होगी और इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कर्मचारियों के संबंध में न सिर्फ और अधिक दक्ष एवं लचीला बनाने बल्कि सामाजिक रूप से अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए भी भविष्य की कार्य-योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

ट्रेड यूनियनों की भूमिका

4. वर्षों के दौरान ट्रेड यूनियन अभियान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। विश्व भर में वे न सिर्फ कर्मचारियों के शोषण को रोकने में सहायक रहे हैं बल्कि उनके कारण श्रम को गौरव भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, यूनियनों ने प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय लाने तथा प्रबंध तंत्र को न सिर्फ कर्मचारियों पर बल्कि व्यापक रूप से समाज पर शोषणकारी कार्य करने से रोकने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

5. इस संदर्भ में, बैंक के सम्माननीय कर्मचारियों की सराहनीय सेवा करने, वो भी तब जबकि बैंकिंग निजी हाथों में थी, के लिए मुझे भारत में बैंक कर्मचारियों के सबसे पुराने

संघ, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की सराहना करनी होगी। मैं बंगाल से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ पर आधुनिक बैंकिंग का जन्म हुआ। लोग कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के आसपास के समय में बैंक कर्मचारियों की हालत बहुत खराब थी। वास्तव में, बंगाल में एक कहावत है कि जिसके मोटामोटी अनुवाद का अर्थ निकलता है कि गिद्धों, बैंक के बाबुओं और नौकरानी के सिर हमेशा झुके होते हैं। बैंक कर्मचारियों के पास अपना सर उठाने का समय ही नहीं होता था-वे इस प्रकार के शोषण का शिकार हुआ करते थे। मैंने यह सुना है कि शास्त्री प्राधिकारण के फैसले के समय भी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कुत्ते पर होने वाला खर्च बैंक कर्मचारी के वेतन से अधिक हुआ करता था। ऐसे समय में यूनियनों के सौभाग्य के रूप में कॉमरेड प्रभात कार, कॉमरेड नरेश पॉल, कॉमरेड आशीष सेन, कॉमरेड सुधीन्द्र नाथ बिस्वास, कॉमरेड चाढ़ा, कॉमरेड एच.एल. परवाना, कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती जैसे कुछ महान नेता मिले। मुझे यकीन है कि ऐसे और भी कई नेता रहे होंगे। पिछले 65-70 वर्षों में इन लोगों ने हम सभी पर बड़ा अनुग्रह किया है जिसे शायद आज हम महसूस भी नहीं कर सकते। उन्होंने बैंक की नौकरी को समाज में सम्मान दिलाया है। एक ऐसा काम जिसे पहले हेय दृष्टि से देखा जाता था। आज बैंक की नौकरी सबकी पसंदीदा है। यहां पर मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि बैंक कर्मचारियों की वेतन संरचना और सेवा शर्तों की प्राप्ति आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल मात्र से नहीं हुई है, बल्कि इनकी प्राप्ति बैंक प्रबंधन और फैसला करने वाले प्राधिकरणों के समक्ष अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ जैसे ट्रेड यूनियन के प्रबुद्ध नेताओं के अनुनय और तर्कों के माध्यम से हुआ है। वास्तव में, बैंकिंग उद्योग में द्विपक्षीय समझौते की नीव शास्त्री फैसला (अवार्ड) और देसाई फैसला (अवार्ड) के माध्यम से रखी गई। देश के बैंक ट्रेड यूनियन आंदोलन के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे द्विपक्षीय समझौते की तारीफ करते समय हमें हमें ये दो फैसले किए जाने के लिए ट्रेड यूनियन नेताओं के अनुनयकारी तथा बौद्धिक भूमिका को कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे-जैसे हमारा संगठन बौद्धिक संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बैंक कर्मचारियों और बैंक के ग्राहकों के मामलों को तर्क, सूचना और संवेदना के साथ प्रस्तुत करने की गौरवशाली परंपरा को और अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा तथा

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के वर्तमान नेतृत्व के द्वारा और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

आज की जरूरत

6. अब मैं इस सेमिनार के मुख्य विषय की ओर बढ़ता हूँ। आप लोगों ने मुख्य विषय के रूप में 'लोगों के मूलभूत अधिकार के रूप में बैंकिंग' का चयन किया है। जबकि आप लोगों ने इस थीम का चयन किया है, मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि यदि लोगों के मूलभूत अधिकार के रूप में बैंकिंग को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है तो इसका कारण हम सभी हैं - सामूहिक रूप से हम सभी जिम्मेदार हैं। बेशक यह मुद्दा बहुत उपयुक्त है। विशेषरूप से तब जबकि देश के सामाजिक-राजनैतिक एजेंडा का ध्यान समावेशी वृद्धि पर केंद्रित किया जा रहा है, लोगों को वित्तीय रूप से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। मुझे याद आता है कि अप्रैल 2012 में कभी मैंने किसी सेमिनार में कहा था कि 'देश के लिए वित्तीय समावेशन के प्रयासों के फैशन से बदलकर पैसन का रूप लेने के साथ में बैंकिंग सेवाओं को मूलभूत अधिकार नहीं बनाया जाना चाहिए'। आज के अपने संबोधन में मैं बैंकिंग को लोगों का मूलभूत अधिकार बनाए जाने की घोषणा किए जाने के निहितार्थ, अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं जिन्हें को पूरा किया जाना चाहिए, घोषणा किए जाने के पहले की जाने वाली कुछ पूर्व-तैयारियों और कुछ कठिनाइयों, अपने प्रयास में जिनसे हमें बचने की जरूरत है, की चर्चा करूंगा। मैं यह भी तर्क दूंगा कि सांविधानिक रूप से इसे उपलब्ध कराया गया हो या नहीं कराया गया हो बैंकों द्वारा बैंकिंग को मूलभूत अधिकार माना जाना चाहिए क्योंकि उनके अस्तित्व में होने से इसका अभेद्य संबंध है।

7. बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाने के इस विषय पर हम आज क्यों चर्चा कर रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर को इस विषय पर चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार मूलभूत बैंकिंग सेवाएं देश के सभी लोगों को उपलब्ध कराने के बारे में चिंतित क्यों है?

8. 'दीवार पर लिखने' की तरह प्रसिद्ध इन सभी प्रश्नों के उत्तर वहीं हैं। कुछ समय पहले तक :

- देश के 600,000 निवासियों में से सिर्फ 36,000 से कुछ अधिक को वाणिज्य बैंक शाखाओं की सेवाएं उपलब्ध हैं।

- देश भर में सिर्फ 40 प्रतिशत से थोड़ी अधिक जनसंख्या के पास बैंक खाते हैं।
- किसी भी प्रकार का जीवन बीमा कराने वाले लोगों का अनुपात 10 प्रतिशत के न्यून स्तर पर है।
- डेबिट कार्ड धारक लोग सिर्फ 13 प्रतिशत और क्रेडिट कार्ड वाले लोगों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का सिर्फ 2 प्रतिशत है।

9. सहकारी आंदोलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, लीड बैंक योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आदि जैसे उपायों से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन काफी लंबे समय से राष्ट्रीय एजेंडा बना हुआ है, किंतु इसमें कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। हमारे देश में जहां पर बैंकिंग का अस्तित्व किसी न किसी रूप में 200 वर्षों से अधिक समय से बना हुआ है, बहुत से बैंक हैं जो 100 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में हैं और जहां पर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ भी लगभग 70 वर्ष पूरे करने वाला है, फिर भी हालात ऐसे क्यों हैं? स्थिति ऐसी क्यों है? इसका कुछ दोष आधारभूत संरचना की अड़चनों - प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता, भौतिक शाखाओं की कमी जिसका मुख्य कारण प्रारंभिक लागत का अधिक होना है, को दिया जा सकता है। फिर भी, मैं इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि हम सभी कर्मचारी सामूहिक रूप से इसके जिम्मेदार हैं और बैंक संघ भी इस दोष से खुद को अलग नहीं रख सकते हैं। वित्तीय मुख्यधारा से लोगों के अलग-थलग होने के व्यापक विस्तार को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 से वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने और देश के सभी निवासियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित अभियान चलाया है।

10. हालांकि मैं शीघ्र ही यह कहना चाहूंगा कि वित्तीय रूप से अलग-थलग रहना एक वैश्विक तथ्य है और यह वित्तीय संकट के प्राथमिक कारणों से एक था। अनुमानों से पता चलता है कि विश्व की वयस्क जनसंख्या के आधे से अधिक - लगभग 2.5 बिलियन लोगों के पास बैंक खाता, किसी प्रकार का बीमा अथवा ऋण की उपलब्धता की सुविधाएं सुलभ नहीं हैं। कहना व्यर्थ होगा कि इनमें से अधिकांश लोग हमारे जैसे विकासशील देशों के हैं।

क्या बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाया जाना चाहिए?

11. उपर्युक्त प्रश्न के उत्तरों की जांच करने के पहले हमें यह समझना होगा कि मूलभूत अधिकारों का अर्थ क्या होता है, उनको संविधान में शामिल करने की शुरुआत करना और बैंकिंग के अधिकार को मूलभूत अधिकार बनाए जाने का हिस्सेदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संविधान के भाग III में सम्मिलित किए गए मूलभूत अधिकारों द्वारा सभी नागरिकों को प्रजाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति, पन्थ अथवा लिंग का भेद किए बिना सिविल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इन अधिकारों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में राज्य के अधिक्रमण को रोकने के साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों पर समाज द्वारा हस्तक्षेप से रक्षा करने का दायित्व भी होता है। इस प्रकार से मूलभूत अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सभी सदस्यों की बराबरी पर आधारित सिद्धांतों की रक्षा करना है।

12. यहां पर हमें यह जरूर समझ लेना चाहिए कि बैंकिंग राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा नहीं है। यह एक ऐसी सेवा है जिसे वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध कराया जाना है। सभी के बैंक खाते खोलने और सभी को ऋण प्रदान करने से बैंको को किसने रोका है। कोई नहीं रोकता है। हालांकि लागत इतनी अधिक होती है कि वह इसे निषेधात्मक बना देती है। उदाहरण के लिए विमान द्वारा उड़ने की बात को लें - टिकट खरीदना वहन कर सकने वाला प्रत्येक व्यक्ति विमान में अधिकार पूर्वक उड़ सकता है किंतु कितने लोग हैं जो इस अधिकार का प्रयोग कर पाते हैं?

13. यदि बैंक स्वेच्छा से सभी को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लेते तो बैंकिंग का अधिकार स्वयंमेव मूलभूत अधिकार बन गया होता। यह सबसे बेहतरीन पद्धति हो सकती थी, किंतु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ। कोई यह तर्क प्रस्तुत कर सकता है कि बैंकों के प्रबंधन वित्तीय समावेशन में रुचि नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको इसमें व्यवहार्य कारोबारी स्थिति नहीं दिखाई दी। इसमें मूलरूप से अदूरदर्शिता का और प्रगतिशील विचारों के स्थान पर अपरिवर्तनशील विचारों का पता चलता है। ऐसा होने के कारण विनियामकीय उपायों के माध्यम से इसे प्राप्त करने का दूसरा-बढ़िया विकल्प ही शेष रह गया जिसकी कोशिश कभी-कभी हम करते हैं। बैंकों को हमारा अनुदेश है कि सभी लोगों के लिए बिना शर्त बुनियादी बचत खाता खोलें और उसके द्वारा बैंकिंग को मूलभूत अधिकार जैसा बन सके। कृपया यह भी स्मरण रखें

कि ये विनियम सिर्फ सरकारी बैंकों के लिए ही नहीं बल्कि निजी बैंकों, विदेशी बैंकों, सहकारी बैंकों आदि के क्षेत्रों पर उसी तरह लागू हैं। हम चाहते हैं कि अनुदेशों का पालन सभी बैंक करें और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं की सार्वत्रिक सुलभता उपलब्ध कराएं।

14. विनियामकीय दिशानिर्देशों के बाद भी यदि देश के लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं सुलभ नहीं होती हैं तो हमें बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए विधिक प्रावधान करने के बारे में सोचना पड़ेगा। किंतु इस अधिकार का हाल भी वैसा हो सकता है जैसे हमारे शिक्षा के अधिकार, भोजन के अधिकार - जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या स्वतंत्रता के अधिकार - जिस पर विभिन्न कारणों से अक्सर बहस होती रहती है। मुद्दा यह है कि यदि सभी लोगों को दक्षता पूर्वक विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रणाली ही तैयार नहीं हो तो बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाने से चहुंओर सिर्फ अव्यवस्था ही फैलेगी। हम भोजन के अधिकार अथवा आवास के अधिकार को लागू करने में असमर्थ हैं क्योंकि शायद आज हमारे पास ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के नेता इस विषय पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम लोगों को, बैंकिंग सेवाओं को सभी लोगों को सुलभ कराने और यदि हम इस चुनौती को स्वीकार करने को तैयार हों तो उसका आकलन करने के विषय पर भी चर्चा करनी चाहिए।

15. आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों के समक्ष अधिकार के रूप में बैंकिंग के मुद्दे पर वैश्विक परिदृश्य प्रस्तुत करना चाहूंगा। कनाडा के कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत बैंक खाता खोलने का अधिकार है। जब तक किसी के पास कोई विधिमान्य समुचित पहचान हो, कोई बैंक इस कारण से व्यक्तिगत खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकता है कि वह व्यक्ति बेरोजगार है या न्यूनतम राशि जमा नहीं करता है अथवा वह पहले दिवालिया रहा हो। बेशक, यदि खाते की गैरकानूनी ढंग से अथवा धोखाधड़ी के लिए प्रयोग किए जाने की आशंका हो, ग्राहक द्वारा गलत पहचान प्रस्तुत की जाए अथवा संभावित ग्राहक के किसी बैंक के प्रति जुर्म किए जाने की आशंका होने जैसी विशेष परिस्थितियों में खाता खोलने से इंकार किया जा सकता है। इसी तरह से, यूके में ग्राहक की विश्वसनीय तरीके से पहचान करने अथवा बैंक के पास दुरुपयोग की आशंका करने के कारण उपलब्ध हों अथवा बैंक के पास अतीत में ग्राहक द्वारा बैंक से किए गए करार को

भंग करने का कोई पूर्व अनुभव रहा हो; जैसी बातों के होने के अलावा अन्य परिस्थितियों में बैंक साधारण जमा खाता खोलने से इंकार नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में यूरोपीय संघ अन्य बातों के साथ में, क्रास-बॉर्डर मोड को समाहित करते हुए बैंक खाता उपलब्ध कराने वालों को बदलने की अनुमति प्रदान करने वाले प्रावधानों सहित ग्राहकों को बुनियादी बैंक खाते की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श कर रहा है।

16. इस प्रकार से विश्व भर में उपभोक्ताओं के लिए बुनियादी बैंकिंग खाता के प्रावधान को अधिकार माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही उल्लेख किया, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना किसी न्यूनतम जमाराशि और बिना किसी प्रभार (प्रचालनों की सीमाओं के अधीन) के बुनियादी सेवा का प्रावधान किए बिना 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है और इस प्रकार से प्रत्येक नागरिक को बैंक खाता रखने का अधिकार प्रदान किया है। अधिदेश पहले से विद्यमान है और संपर्क करने वाले सभी लोगों के बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करना और यह दूसरे बैंक अथवा शाखा में जाने को नहीं कहना बैंक कर्मचारियों का काम है।

17. कर्मचारी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बैंक के मालिक ऐसा नहीं चाहते अथवा बैंक का प्रबंधतंत्र ऐसा नहीं चाहता। किंतु इसीलिए तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परंतु राष्ट्रीयकरण होने के चालीस वर्षों से भी अधिक का समय हो जाने पर भी अभी तक हम यही विमर्श कर रहे हैं कि क्या बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाया जाना चाहिए। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रबंधतंत्र में खोट क्यों? मुझे यह भी अवश्य कहना चाहिए कि बैंकिंग ऐसा उद्योग है प्रबंध में कार्मिकों की सहभागिता होती है, बोर्डों और नीति निर्माण में उनका प्रतिनिधित्व होता है। इसलिये यदि देश में बैंकिंग सेवाओं के सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाने की जिम्मेदारी से संघ और कर्मचारी बच नहीं सकते हैं। संघों, कर्मचारियों और बैंक प्रबंधतंत्र - हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पहले के समय में हम उपयुक्त प्रौद्योगिकी अनुपलब्ध होने के कारण उत्पादों और सेवाओं को आम लोगों तक नहीं ले जा पा रहे थे। शुरुआत में हमने बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का विरोध किया और बैंक के ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पादों और

सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रारंभ करने में लगभग बीस वर्ष लगे। मुझे खुशी है कि समस्या से हम लोगों ने कई वर्ष पहले ही निजात पा लिया और आज बैंकिंग उद्योग में प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा चुका है तथा बैंकिंग उत्पादों या सेवाओं को आम लोगों तक लेकर जाने में कोई अड़चन नहीं है।

तीन पूर्व-आवश्यकताएं

18. सिद्धांत रूप में यह कहना बहुत आसान है किसी भी सेवा को मूलभूत अधिकार घोषित किया जा सकता है। लेकिन लागू किए जाने की दृष्टि से किसी सेवा का मूल अधिकार बन जाना तब तक घोषित नहीं किया जा सकता जब तक वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करें :

(क) सुलभता : जब तक कोई सेवा सभी के लिए सुलभ नहीं हो तब तक उसका मूलभूत अधिकार के रूप में प्रभावी होना नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए यदि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय तक यात्रा करके जाना पड़े तो उस चिकित्सा सेवा को हम मूलभूत अधिकार नहीं कह सकते। यही बात बैंकिंग पर भी लागू होती है - यह सेवा निकट ही उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए हमारा यह लक्ष्य है कि आगामी तीन वर्षों में सभी 6 लाख गांवों को बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए - चाहे वे भौतिक शाखाओं के माध्यम से अथवा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों और बैंकिंग करेस्पॉण्डेंटों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएं।

(ख) वहनीयता : हम लोगों ने ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं सुलभतापूर्वक उपलब्ध कराने की कोशिश की है। लगभग 15 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए हैं। देखने पर ये आंकड़े बहुत प्रभावशाली प्रतीत होते हैं - यह संख्या बहुत से देशों की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। किंतु हमें इसे हमारी 1.2 बिलियन जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। इसके अलावा, इनमें से अधिकांश खातों से कोई लेनदेन नहीं हुआ है। ऐसा लेनदेन की लागत बहुत अधिक होने के कारण हुआ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वास्तव में बैंकिंग वाणिज्यिक गतिविधि है इसलिए प्रत्येक लेनदेन की लागत तो होगी ही। किंतु लागत कितनी होनी चाहिए? लगभग एक साल पहले किसी ने मुझसे शिकायत की

थी कि उसके बैंक ने 30 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए 60 रुपये का कमीशन मांगा। ऐसा क्यों है? इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। व्यापक स्तर पर बैंकिंग के उद्देश्य को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में कर्मचारियों को सशक्त बनाना और उन्नत सेवा शर्तों को लागू करना शामिल था, किंतु वास्तव में वे बाधक बन गए हैं। बैंक कर्मचारियों का वेतन काफी बढ़ गया है और लेनदेन की लागत भी काफी बढ़ गई है जिससे बैंक को व्यवहार्य बनाए रखने में कठिनाई हो रही है।

मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वैश्विक मानकों के अनुसार बैंक कर्मचारियों को अधिक वेतन दिया जा रहा है किंतु हमारे सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बैंकिंग प्रणाली की परिचालन लागत बहुत अधिक है। बैंकों की विद्यमान लागत संरचना ने बैंकिंग लेनदेन की लागत को आम आदमी के लिए गैर-वहनयोग्य बना देती है। अतः बैंकिंग सेवाओं को सभी के लिए वहन योग्य बनाने हेतु हमें लेनदेन की लागत को कम करने की प्रणाली विकसित करना होगा। लेनदेन की लागत में पर्याप्त कमी किए बिना वित्तीय समावेशन के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं यह नहीं कहता कि लेनदेन की लागत कम करने के लिए बैंक कर्मचारियों का वेतन घटाकर आधा कर दिया जाए। लेकिन हम सभी - कर्मचारियों एवं संघों, को नीति निर्माताओं, प्रबंधतंत्र और विनियामक के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि यह देखा जा सके कि समुचित सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से हमारी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। उत्पादकता बढ़ने से गरीब लोगों के लिए लेनदेन की लागत घटेगी और सेवाएं सभी के लिए वहन योग्य बनेंगी। ऐसा होने तक बैंकिंग को मूलभूत अधिकार नहीं बनाया जा सकता। ऐसा करने के लिए हमारे वितरण मॉडल में परिवर्तन करना होगा, हमारी ग्रामीण शाखाओं के संगठनात्मक ढांचों को आकार देना होगा और कम लागत वाले सादे बैंकों का कैडर तैयार करना होगा ताकि ग्रामीण गरीबों को उनके करीब वहन योग्य लागत में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराई जा सके।

(ग) निष्पक्ष और पारदर्शी सुपुर्दगी : बैंकिंग को मूलभूत अधिकार घोषित किए जाने के लिए सक्षम बनाए जाने

के लिए अनिवार्य पूर्व-आवश्यकताओं में तीसरी शर्त निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से निरंतर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने की योग्यता है। ऐसा होने तक लोग सेवाओं से लाभान्वित नहीं होंगे। दुर्भाग्यवश, प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की विश्वसनीयता भौतिक प्रणाली से भी बदतर है। एटीएम से पैसे नहीं निकलने और खाते से नामे होने की शिकायतें मुझे रोज मिलती हैं। भौतिक शाखा वाली बैंकिंग प्रणाली में ऐसा होना संभव नहीं होता। चेक प्रस्तुत करने वाले किसी भी व्यक्ति का खाता पैसा प्राप्त हुए बिना नामे नहीं हो सकता था। जिस व्यक्ति के साथ एटीएम में ऐसा हुआ हो उसके बारे में सोचिए - अगली बार एटीएम जाने से पहले वह दो बार सोचेगा क्योंकि पहली घटना में स्थिति स्पष्ट होने में उसे महीनों इंतजार करना पड़ा होगा। प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हमें सेवाओं को विश्वसनीय बनाना होगा। बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंटों के मामलों को देख लें। बैंकिंग को लोगों के करीब ले जाने के लिए हम बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंटों का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट मॉडल का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं की लागत घटाना है क्योंकि बैंक के नियमित कर्मचारी की लागत बहुत अधिक है जिससे बैंक रहित गरीबों को कम लागत के साथ बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है। फिर भी, बैंक असंगठित क्षेत्र के इन लोगों को उचित भुगतान करने के इच्छुक नहीं हैं। बेचारे बैंकिंग कॉरिस्पॉण्डेंटों को इतना कम वेतन दिया जाता है कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर ही यह काम स्वीकार करते हैं और मौका मिलते ही बैंकिंग कॉरिस्पॉण्डेंट का काम छोड़ देते हैं। बैंकिंग कॉरिस्पॉण्डेंटों को समुचित वेतन दिए जाने की जरूरत है और साथ ही उनको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित आधारभूत संरचना के माध्यम से सहारा प्रदान करने की भी जरूरत है। वित्तीय समावेशन को साकार बनाने के लिए एक अन्य चुनौती यह भी है कि समग्र सुपुर्दगी मॉडल के साथ हम बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट मॉडल को कैसे समन्वित करते हैं।

19. इसलिए, बैंकिंग सेवाओं को सुलभ, वहन योग्य और विश्वसनीय बनाए जाने तक बैंकिंग को मूलभूत अधिकार घोषित करने की मांग करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा, इस अवस्था में बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाना

और समुचित आधार कार्य के अभाव में मांग किए जाने पर सेवा प्रदान करने में असमर्थ होने का परिणाम यह होगा कि बैंक और बैंक के कर्मचारी कानूनी झमेले में फंसेंगे जिसे टाला जा सकता है। ऐसा सुनकर आपको लग रहा होगा कि इस विषय को चुनकर और मुझे आमंत्रित करके इस पर बोलने को कह कर आपने गलती की। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जब तक सभी को बैंकिंग उपलब्ध नहीं कराई जाती और वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन नहीं हो जाता तब तक इस बहस को टालने से हमारी समस्या हल नहीं होने वाली है, देश के विकास का एजेंडा अपूर्ण रहेगा और हमें उस तरह की आर्थिक वृद्धि दिखाई नहीं देगी जैसी हम चाहते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि बैंकिंग सेवाओं को मूलभूत अधिकारों की तरह बनाया जाए। हमें सामूहिक रूप से यह मंथन करने, विचार-विमर्श करने और तरीके ढूंढने की जरूरत है कि इसे कैसे संभव बनाएं। इसके लिए हमें अपनी प्रणालियों, पद्धतियों और कामकाज में सुधार करने तथा प्रभावी बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग को लाने की आवश्यकता है।

20. बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंट कर्मचारियों के रूप में बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न हिस्सा क्यों नहीं बन सकते? उनके लिए हमारी वेतन संरचना भिन्न-भिन्न हो सकती है। आपको बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंटों के रूप में कार्य करने वाले लोगों के अधिकारों और अस्मिता को बनाए रखते हुए बिजनेस कॉरिस्पॉण्डेंटों पर आधारित अभिन्न संरचना, जो निम्न लागत वाली बनी रहेगी, को स्थापित करने के लिए विचार-विमर्श करने और नवोन्मेष करने की जरूरत है। लोगों के करीब जाकर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कम लागत वाली अभिन्न संरचनाएं तैयार करने के लिए बैंक संघों को बैंक प्रबंधन और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर काम करने का समय आ गया है।

21. बैंकिंग सेवाओं की बात करते हुए मैं एक अन्य प्रासंगिक मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगा। आप बैंक खाता खोल सकते हैं, आप पैसे जमा करने की कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, आप कुछ आपतकालीन ओवरड्राफ्ट अथवा उपभोग ऋण भी प्रदान कर सकते हैं किंतु बैंक ऋण स्वतः मूलभूत अधिकार नहीं हो सकता। बैंक ऋण उन्हीं लोगों को प्रदान किया जा सकता है जो उसके लायक हों और बैंक हमेशा यह तर्क देंगे कि वे इसलिए ऋण प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि लोग ऋण प्रदान करने के लायक नहीं हैं। पुनः, यदि लोग ऋण लेने लायक नहीं हैं तो इसका दोष सिर्फ उनको नहीं दिया जा सकता है। बैंकिंग प्रणाली,

बैंक कर्मचारी तथा संघ भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। लोगों की गरीबी दूर करने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए, उनको वित्तीय रूप से साक्षर और ऋण लेने योग्य बनाना चाहिए। इसीलिए रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन और वित्तीय शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दोहरी नीति को अपनाया है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने आज के सेमिनार के लिए भी यही विषय चुना है। सार्वत्रिक वित्तीय समावेशन के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कठिन परिश्रम कर रहे हैं और आप लोगों - कर्मचारी और संघ, से हमारी अपेक्षा है कि आप भी हमारे साथ प्रयास करेंगे।

22. प्रबंधतंत्र के साथ मिलकर काम करने का विचार संघ के बहुत से लोगों को पसंद नहीं हो सकता है। वे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि प्रबंधतंत्र लोगों के विरोधी होते हैं और उनकी मांगों को नहीं सुनते हैं। यहां पर अंतिम बिंदु के रूप में, मैं कहना चाहूंगा कि विश्व भर के औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य में बदलाव हो रहा है, ट्रेड यूनियन आंदोलन बदल रहा है। लगभग सौ वर्ष पहले उत्पादन के घटक जमीन, श्रम और पूंजी हुआ करते थे। आज की स्थिति में, विशेषरूप से बैंकिंग जैसी ज्ञान आधारित सेवा के संदर्भ में उक्त तीन कारक उत्पादन के घटक नहीं रह गए हैं। इनके स्थान पर प्रौद्योगिकी, लोग और कुशलता उत्पादन के नए घटक बन गए हैं। आज की स्थिति में आप 'श्रम' नहीं रहे बल्कि आप 'लोगों' में शामिल हैं। 'लोगों' से मेरा तात्पर्य बैंक प्रबंधतंत्रों, विनियामकों, नीति निर्माताओं और सभी प्रकार के - अधिकारियों, लिपिक स्टॉफ और सहायक स्टॉफ सहित, बैंक कर्मचारियों से है। उत्पादन के नए घटकों को प्रभावी ढंग से उपयोग में लाने के लिए आवश्यक है कि ट्रेड यूनियन और प्रबंधतंत्र को विरोधी न बनकर एक साथ होकर बाजार की शक्तियों से लड़ना चाहिए और स्वयं के लिए तथा अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से समाज के लिए लाभ अर्जित करना चाहिए। वस्तुतः, बैंक प्रबंधतंत्र और संघ विरोधी नहीं रह गए हैं क्योंकि बोर्ड में आपको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, अतः आप प्रबंधतंत्र का अंग हैं। बेहतर वित्तीय समावेशन को रोकने और बैंकिंग के मूलभूत अधिकार बनाने की हमारी इच्छा की राह में आने वाली वाली शक्तियों से आपको एक साथ आकर निपटना होगा। वित्तीय समावेशन का कार्य सिर्फ सरकारी बैंक ही क्यों करें, हम तो यह चाहते हैं कि निजी बैंक, सहकारी बैंक और विदेशी बैंक भी वित्तीय समावेशन का कार्य करें। इस यत्न में कर्मचारियों को संघों को महती भूमिका का निर्वाह करना होगा।

23. श्रम तथा समाज के कमजोर तबकों की परिस्थितियों में सुधार के लिए लक्षित उपाय सिर्फ जिम्मेदार और सशक्त ट्रेड यूनियन ही जोशपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। बदले में, कमजोर ग्राहकों के प्रति वचनबद्धता का निर्वाह करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधतंत्र और अधिक जिम्मेदार तथा मजबूत बनता है। बैंकिंग प्रणाली में कॉर्पोरेट अभिशासन के सामान्य मानकों में गिरावट आने का एक कारण ट्रेड यूनियनों का कमजोर प्रबंधतंत्र को वरीयता देना रहा है। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के ट्रेड यूनियनों के बहुत सक्रिय होने से यह स्थिति और बिगड़ गई है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के ग्राहकों के अधिक कमजोर प्रतीत होते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि कारोबार करने संबंधी विनियम और निजी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित श्रम कानून की सामान्य रूपरेखा एक समान है। फिर निजी बैंकों में संघ इतने सक्रिय क्यों नहीं हैं? मुझे उम्मीद है कि निजी बैंकों के मजबूत प्रबंधतंत्र से निपटने की पुरानी परंपरा का निर्वाह करने वाला अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ देश के बैंकिंग ट्रेड यूनियन आंदोलन के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन लाना सुनिश्चित करेगा जिससे बैंकों के कॉर्पोरेट अभिशासन में सुधार लाने के साथ ही बेहतर वित्तीय समावेशन और उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण में भी मदद मिलेगी।

उपसंहार

24. यहां कही गई मेरी बातों से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, किंतु मेरा विश्वास करें कि वित्तीय समावेशन, जो देश की व्यापक सामाजिक और आर्थिक बेहतरी का मार्ग प्रशस्त करेगा, बैंकों के हित में है। यह हमारे हित में है और इससे भी अधिक यह बैंक संघों के हित में, यदि उन्हें प्रणाली में प्रासंगिक बने रहना है। विश्व भर में ट्रेड यूनियनों का अप्रासंगिक होना बढ़ रहा है और मुझे यकीन है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ जैसे पुराने और जिम्मेदार संघ तथा इसके नेतागण एवं सदस्य ट्रेड यूनियनों में बदलाव की आवश्यकता के संबंध में मुझसे सहमत होंगे। यदि आप सुधारों को नहीं अपनाते हैं तो अप्रासंगिक हो जाएंगे। हमारे देश के नागरिकों के लिए बैंकिंग सेवाएं सुलभ, वहन योग्य और विश्वसनीय बनाने के लिए आपको कुशलता, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों के समुचित उपयोग के माध्यम से बदलाव लाना होगा। मानव सभ्यता के इतिहास में लाखों लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने का महान अवसर पहली बार प्राप्त हुआ है, जिससे समावेशी वृद्धि को साकार रूप दिया जा सकेगा। इस

यत्न का केंद्र बिंदु सिर्फ सरकारी क्षेत्र के बैंक ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र के तथा विदेशी बैंक भी इसमें शामिल होने चाहिए। इसकी प्राप्ति सिर्फ बैंक ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारियों की मदद से तथा कम लागत वाले सुपुर्दगी मॉडलों को लाने से हो सकती है। रिजर्व बैंक ने समुचित विनियामकीय ढांचा स्थापित कर दिया है जिससे बैंकिंग कानूनी तौर पर मूलभूत अधिकार बनेगा। एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाने के लिए कानून पारित करने अथवा कम से कम शुरुआत में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों

में शामिल करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज मुझे इस सेमिनार में आमंत्रित करके आप लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार करने का संकेत दे दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि बैंक ट्रेड यूनियनों, बैंक प्रबंधतंत्र, विनियामक और नीति निर्माताओं के सामूहिक प्रयासों से बैंकिंग को मूलभूत अधिकार बनाने का हमारा सपना पूरा हो जाएगा और इससे 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने की आधार तैयार हो जाएगा।

25. मैं कामना करता हूँ कि आपके प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त हो। धन्यवाद।